भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यलय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES

Office of Regional Controller of Mines

Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat

मिसिल सं-. ग्ज/जूना/चू.प.- 317

<u>पंजीकृत पत्र</u>

उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस

दिनांक : 16.04.2017

सेवा में : Shri. Gopalsinh Himmatsing Chauhan.

Radha Nagar Society, Block No. -12,

Girnar Road, Junagadh

Dist- Junagadh, Gujarat-362001

विषय: गुजरात राज्य के गिरसोमनाथ जिले में स्थित आपकी घुसिया चुनापत्थर खान, सर्वे नंबर-64/P, क्षेत्रफल 02.00 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन। (Mine Code-38GUJ 08359).

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04/04/2018 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

| वियमवाला २०१७ के प्रविधानी का उल्लंधन पाया गया | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------|-------------------|--|
| नियम स. | <u>पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति</u> | | | | | |
| Rule 11(1) | No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except | | | | | |
| | in a | in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of | | | | |
| | Mines | | | | | |
| | i) | ng operations were being | | | | |
| | carried out in violation of the approved Scheme of Mining (Approved vide letter No. 682(23) (MS-747)/1997 MCCM (N) UDP, dated 10.12.2013 for the period 2013-14 to 2017-18 as the area of excavation is appears to be within 7.5m of statutory barrier or outside the valid mining lease boundary/area. Further, boundary of the mining lease pillars were also not available/erected as per statutes & DGPS survey of the lease area as per CCOM Circular 02/2010 is not attended & reported to this office till date. ii) In Para 5.1(b), during the year 2013-14 to 2017-18, the height of individual working bench was proposed as 6mts. But, during inspection, height of individual bench appears to be as | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | more than 10mts which is clearly indicates the deviation against the given proposals. | | | | | |
| | iii) In Para 5.1(b), Production of Limestone achieved during the year 2013-14 & 2015-16 of approved Scheme of Mining are on higher side as given below | | | | | |
| | | | | | | |
| | ĺ | Year | Proposed production of | Actual production of | Increase in | |
| | | | Limestone in Tonnes | Limestone in Tonnes | production (in %) | |
| | | 2013-14 | 69940 | 99694.16 | 142.54 | |
| | | 2015-16 | 70000 | 91152.81 | 130.22 | |
| | | | table it is clearly indicate that the production achieved are higher against proposed | | | |
| | production given in approved Scheme of Mining. | | | | | |
| Rule 28(1) | The holder of the mining lease shall send a notice in Form-E when the mining operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding 90 days so as to reach at concerned offices within 120 days But in your case the aforesaid notice in prescribe Form-E not submitted to the Regional Controller | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | of Mine, Gandhinagar. | | | | | |
| | | | | | | |

| Rule 35(2) | Every holder of the mining lease shall monitor his mining and allied activities as per the | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | notified template of star ratings in the format prescribed in this behalf by the Indian Bureau | | | |
| | Mines from time to time, and shall submit online its self-assessment report before the 1st day of | | | |
| | July every year for the previous financial year. | | | |
| | In your case, you have not submitted online self-assessment report for the last 2 years (2015-16 & | | | |
| | 2016-17) in spite of mining operations were carried out during the said period. | | | |
| Rule | The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional | | | |
| 45(5) (c) | Controller of Mine or any other authorized officer of the Indian Bureau of Mines in the following | | | |
| | manner- | | | |
| | An annual Return which shall be submitted before 1st day of July each year for the preceding | | | |
| | financial year in electronic form, along with signed print copy of the same if it is digitally | | | |
| | signed, in the respective Form | | | |
| | But, it is observed that, you have not submitted Annual Returns from 2012-13 onwards to this | | | |
| | Regional office. Therefore, you are directed to submit aforesaid returns in online system | | | |
| | immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login. | | | |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खिनज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपलना नहीं होने पर खिनज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 11(2) एवं नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है / आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाए बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफ़ारिश की जा सकती है |

03. अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से <u>30 दिन</u> की अविध में कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाता है|

04. कृपया नोट करे की इस संदर्भ में आपको और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा|

भवदीय,

(संजय गिरहे) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयप्र|
- 2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.) को सूचनार्थ एवं उपरोक्त नियम 11(1)(i) के उल्लंघन के संदर्भ में मीनिंग लीज बाउंडरी पिल्लर्स नहीं पाये गए एवं मीनिंग लीज के बाहर जो खनन कार्य किया जाना प्रतीत हो रहा है| इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का श्रम करे |
- 3. सहायक भूविज्ञानी, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, प्लॉट नं-39, राजनगर सोसाइटी, जूनागढ़ बायपास, वेरावल गुजरात 362262 को सूचनार्थ एवं उपरोक्त *नियम 11(1)(i) के उल्लंघन के संदर्भ में मीनिंग लीज बाउंडरी पिल्लर्स नहीं पाये गए एवं मीनिंग लीज के बाहर जो खनन कार्य किया जाना प्रतीत हो रहा है* इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का श्रम करे ।
- 4. रक्षित पत्रावली |

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो